अपील सूचना अधिकार संख्या 08/2018 मुकन्द सिंह पुत्र हरनेक सिंह गांव 5 केएसडी तहसील रायसिंहनगर बनाम उपखण्ड अधिकारी, घडसाना।

09–05–2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी मुकन्द सिंह स्वयं उपस्थित नहीं। उपखण्ड अधिकारी, घड़साना से जवाब/प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी यह अपील लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, घडसाना को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 05.01.2018 को प्रस्तुत किया था, जिस पर उपखण्ड अधिकारी, घडसाना के आदेश दिनांक 22.01.2018 की अप्रसन्नता से यह अपील प्रस्तुत की है जिसमें अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी पर देरी की वजह से जुर्माना लगाए जाने और प्रार्थी को चाही गई सूचनाएं दिलवाने की प्रार्थना की है

अपीलार्थी मुकन्द सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 05.01.2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, घडसाना से निम्न सूचना चाही थी:–

1. उपखण्ड न्यायालय, घडसाना में प्रकरण संख्या 91/2017 में महला सिंह जाति जटसिख पिता पूर्ण सिंह निवासी 281 हैउ बीच सत्र में खड़ी फसल को छोड़कर चन्दूराम को कब्जा किस नियम से दिया गया। चक 2 एस के एम में प्रकरण में मध्यस्था उपजिला कलक्टर श्योराम वर्मा की रही मध्यस्था के प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. मूल आवंटन स्व. प्रीतम सिंह के वारिशों के चक 2 एस के एम मु.नं 189/36 , 189/44 रकबा 25 बीघा को बीच सत्र में खेत से बाहर निकालना कशतकार ठेकेदार महला सिंह किसने अधिकार दिया किस निमय से चन्दूराम को खड़ी फसल का कब्जा काश्त दिया गया । मूल आवंटन के वारिशों (डिम्पल कुमार, रमन कुमार, लक्ष्मी देवी वगै.) एसडीएम श्योराम वर्मा प्रमाणित प्रतिलिपि देने का कष्ट करें।
3. महला सिंह बनाम चन्दूराम प्रकरण संख्या 91/2017 तक राजीनामा करवाने वाले पंचायत के आदमियों के बयानों की प्रमाणित कॉपी व पंचायत का प्रमाणित पंचायत नामा जो इस प्रकरण में पंच पंचायत का खुले न्यायालय में एसडीएम महोदय द्वारा दिया गया, प्रमाणित कॉपी।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

4. पंचायत नामे की प्रमाणित कॉपी पंचायत कराने वाले व्यक्तियों के हस्ताक्षर व पहचान के सबूतों की प्रमाणित फोटो प्रति।
5. स्वर्गीय प्रीतमचन्द के वारिशों से एक वर्ष 13.04.2017 से 13.04.2018 तक महिला सिह जाति जटसिख गवाहान के समक्ष सहमति बनी थी, इस सहमति को किस नियम के तहत बीच वर्ष में महला सिंह द्वारा अन्यत्र पारिवारिक सदस्य चन्दूराम को कब्जा व निर्माण करवा दिया विवरण सहित एसडीएम महोदय मध्यस्था श्योराम वर्मा की मध्यस्था में न्याय किया गया है, प्रमाणित कॉपी देवे।
6. दिनांक 18.09.2017 के बाद में हल्का पटवारी चक 2 एसकेएम मु. नं. 189/36, 189/44 के पूर्ण रिपोर्ट का मध्यस्थ में न लेने का नियम बताए एसडीएम महोदय प्रकरण संख्या 91/2017 तहसीलदार, राजस्व घडसाना की रिपोर्ट का भी विवरण नहीं इसका विवरण सहित प्रमाणित कॉपी देवे, अप्रार्थी के वकील श्रवण बिश्नोई आवेदन प्रार्थना पत्र दिनांक 28.12.2017, वकालतनाम की प्रमाणित फोटो कॉपी।
7. महला सिंह द्वारा चक 2 एसकेएम में खडी फसल का स्थगन आदेश लिया था, इसकी प्रमाणित फोटो प्रति देने का कष्ट करें।
8. चक 2 एसकेएम में मुरब्बा नम्बर 189/36, 189/44 में माननीय उच्च न्यायायल, जोधपुर से आपके कार्यालय एसडीएम में दिनांक 02.11.2017 को तामिल हो गया था। सिविल न्यायालय, घड़साना के सवार के माध्यम से इसकेबाद इसी दिनांक 28.12.2017 उक्त जमीन का स्थगन आदेश किस नियम के तहत स्थगन आदेश दिया है। उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना का नियम बतना और आपके कार्यालय के स्थगन आदेश का नियम बतायें, प्रमाणित कॉपी।
9. डिम्पल कुमार, लक्ष्मी देवी, स्व. जोगेन्द्र सिंह आदि को प्रकरण संख्या 91/2017 में दिये गये नोटिसों की प्रमाणित प्रतिलिपि देने का कष्ट करें, अपील सुनने का नियम भी बताये।
10. श्रवण वकील द्वारा प्रार्थना पत्र आवेदन दिनांक 18.09.2017 को दिया गया प्रकरण संख्या 91/2017 में एसडीएम न्यायालय, घड़साना द्वारा पेशी दिनांक 20.10.2017 रखी थी। मगर फैसला मूल आवंटन के वारिशों की अनुस्थिति में दिनांक 25.09.20174 को किस नियम के तहत एसडीएम महोदय ने सुनाया नियम की प्रमाणित कॉपी देवे। स्व. प्रीतमचन्द के वारिशों को आज दिनांक 05.01.2017 तक नोटिस नही देने का नियम बताये नियम की प्रमाणित फोटो कॉपी देवे, सूचना के अधिकार के तहत प्रमाणित फोटो कॉपी देने का कष्ट करें।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी, घडसाना ने अपने पत्र संख्या रीडर/सू.अ./2017/126 दिनांक 22.01.2018 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जो सूचना इस कार्यालय से चाही गई है वह सूचना का अधिकार के तहत प्रदान नहीं की जा सकती है क्योंकि उक्त वाद पत्र न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया के तहत निस्तारित किया गया था जिसमें संबंधित पक्षकार व उसका अधिवक्ता नियमानुसार न्यायालय में उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सम्बन्धित अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है यदि आप संबंधित वाद में पक्षकार है तो नियमानुसार स्वयं या आपके अधिवक्ता के मार्फत नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकते है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं प्रश्नात्मक रूप में है और तृतीय पक्ष से सम्बन्धित है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नयी सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों कों खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार** लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, घडसाना द्वारा **अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में दिया गया उत्तर दिनांक 22.01.2018 सही है, ऐसी दशा में किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता नही है।**

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। यह आदेश आज दिनांक 09.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर